अनुदेश संख्या. 02 /2025-जीएसटी

सीबीआईसी-20016/39/2024-जीएसटी शाखा

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

****

कमरा संख्या 159-ए , नॉर्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली, 7 फरवरी , 2025

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त (केंद्रीय कर)

महोदया/महोदय,

विषय: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 128अ से संबंधित केवल ब्याज और/या शास्ति के विरुद्ध दायर विभागीय अपील में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - के संदर्भ में।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'सीजीएसटी अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 128ए की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 (जिसे आगे 'सीजीएसटी नियम' कहा जाएगा) के नियम 164 के साथ पढ़ा जाए, जो कुछ शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट प्रदान करता है । इसके अलावा, 15 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र संख्या 238/32/2024-स्था. के द्वारा, धारा 128 अ से संबंधित विभिन्न शंकाओं को स्पष्ट किया गया है ।

2. इस संबंध में, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या धारा 128अ (उपरोक्त) का लाभ उन करदाताओं को दिया जाना चाहिए, जहां कर राशि का भुगतान किया गया है, लेकिन विभाग द्वारा ब्याज की गलत अंकगणितीय गणना अथवा जहां शास्ति या तो आरोपित नहीं की गई है या निर्धारित सीमा से कम आरोपित की गई है, इत्यादि के आधार पर अपील दायर की गई है ।

3. बोर्ड द्वारा मामले की जांच की गई है। यह देखा गया है कि उपरोक्त परिपत्र में पैरा 4 के तालिका के अंतर्गत क्रम संख्या 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामले जहां देय कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और धारा 73 के अंतर्गत नोटिस या मांग आदेश केवल ब्याज और/या शास्ति से संबंधित हैं, उन्हें धारा

128अ का लाभ लेने के लिए विचार किया जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां करदाता ने कर की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और केवल ब्याज या/और शास्ति को लेकर विवाद है, तो वह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128अ का लाभ लेने के लिए पात्र है। इसी प्रकार, यह विचार किया गया है कि, सिर्फ इसलिए कि विभाग ने अपील दायर की है या अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, किसी करदाता को, जो अन्यथा धारा 128अ का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके आतिरिक्त, उक्त प्रावधान का उद्देश्य यह है कि मुकदमेबाजी को कम करना है तथा एक करदाता को मात्र तकनीकी आधार पर प्रावधान के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

4. उपरोक्त के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां करदाता द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत कर की मांग राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है और विभाग ने केवल गलत ब्याज गणना और/या सीजीएसटी अधिनियम या आईजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत शास्ति राशि गलत लगाए जाने या न लगाए जाने के कारण अपील दायर की है या अपील दायर करने की प्रक्रिया में है और करदाता धारा 128अ और उसके तहत बनाए गए नियमों की अन्य शर्तों को पूरा करता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसी दायर अपील को वापस लेने हेतु आगे बढ़ सकता है और ऐसे मामले में जहां धारा 73 के तहत आदेश केवल समीक्षा के चरण में है, उसे स्वीकार किया जाए ।

5. इन अनुदेशों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो बोर्ड को सूचित किया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)

आयुक्त (जीएसटी पॉलिसी विंग)